Research Ambition

An International Multidisciplinary e-Journal

(Peer-reviewed & Open Access) **Journal home page:** www.researchambition.com

ISSN: 2456-0146, Vol. 08, Issue-IV, Feb. 2024

आजाद हिन्द फौज के विरूद्ध अभियोग

Sandeep[a,*] **Dr. Geeta Awasthi**[b,**]

[a]*Ph.D. Scholar, Department of History, Jiwaji University, Gwalior, Madhya Pradesh, India.*

[b]*Assistant Professor, Department of History, J.C. Mill Girls College, Jiwaji University, Gwalior, Madhya Pradesh India.*

KEYWORDS

आजाद हिन्द फौज, द्वितीय विश्वयुद्ध, अभियुक्तों की दण्ड व्यवस्था, भारतीय सेना अधिनियम 1911, आजाद हिन्द फौज।

ABSTRACT

द्वितीय विश्वयुद्ध में जापान की पराजय के पश्चात् आजाद हिन्द फौज के सैनिकों को भी आत्मसर्मपण करना पडा। उसके पश्चात् ब्रिटिश सरकार ने इन युद्धबंदी सैनिको को भारत में लाकर इन पर मुकदमा चलाने का निर्णय लिया गया, लेकिन जनता के विरोध को देखते हुए आजाद हिन्द फौज के प्रमुख अफसरों पर मुकदमा चलाया गया। जिनमें प्रमुख रुप से कैप्टन शाह नवाज खां, प्रेम कुमार सहगल तथा ले. गुरुबख्श सिंह ढिल्लो प्रमुख थे। इन सैनिको को बचाने के लिए कांग्रेस एवं प्रमुख दलों की तरफ से कुछ वकीलों की नियुक्ति की गई, जिनमें भोला भाई देसाई प्रमुख थे। इन अभियुक्तों पर मुकदमा 5 नवम्बर 1945 को आरम्भ हुआ जो लगभग दो महीने तक चला। अदालत द्वारा मुकदमें की सुनवाई होने पर इन अभियुक्तों को दोषी मानते हुए आजीवन देश निकाला, नौकरी से बर्खास्तगी और वेतन एवं बकाया रकम जब्त करने का हुक्म सुनाया। परन्तु जनता के दबाव को देखते हुए वायसराय द्वारा इन अभियुक्तों के खिलाफ आजीवन देश निकाले के दण्ड को हटा दिया गया।

प्रस्तावना

आजाद हिन्द फौज के तीनों अधिकारियों लेफ्टिनेन्ट शाहनवाज खां, कैप्टन प्रेम कुमार सहगल तथा लेफ्टिनेन्ट गुरूबख्श सिंह ढिल्लों पर मुकदमा 5 नवम्बर 1945 ई. को शुरू हुआ जो 31 दिसम्बर 1945 ई. तक चला यह मुकदमा लगभग दो महीने तक चला। आजाद हिन्द फौज के तीनों अभियुक्तों शाहनवाज खां, प्रेम कुमार सहगल तथा गुरूबख्श सिंह ढिल्लों अपनी सैनिक वेशभूशा में अदालत के सामने उपस्थित थे। ब्रिटिश न्यायालय में उनको उसी नाम व पद से पुकारा जाता था जो उनके ब्रिटिश सेना में थे। 5 नवम्बर 1945 ई. को मुकदमा आरम्भ हुआ। 5 नवम्बर 1945 ई. को ही न्यायाधीशों को शपथ दिलवाई गई।[1] इस मुकदमें शामिल सात प्रमुख न्यायधीशों के प्रमुख इंचार्ज ब्रिगेडियर ए.जी.एच. बौरक तथा ले. कर्नल टी.आई. स्टीवनसन थे।

अदालत की कार्यवाही सुबह 10 बजे आरम्भ हुई। इसके बाद मुख्य न्यायधीश ने मुकदमा शुरू करते हुए तीनों अभियुक्तों पर सरकार द्वारा लगाए गए आरोपों को पढ़कर सुनाया गया।[2] आजाद हिन्द फौज के तीनों अभियुक्तों के विरूद्ध ताजीराते हिन्द की धारा 121 के अधीन बादशाह (सम्राट) के विरूद्ध जंग करने के आरोप लगाए गए। इन तीनों अभियुक्तों पर कुछ व्यक्तियों की हत्या करने तथा हत्या के लिए उकसाने का आरोप भी लगाया गया। इन तीनों ही अभियुक्तो में अपने अपराध अस्वीकारा कर दिया। इसके बाद भोला भाई देसाई ने केस की तैयारी करने का समय मांगा और मुकद्में को

Corresponding author

***E-mail:** sandeepbeniwal390@gmail.com (Sandeep). https://orcid.org/0009-0005-5244-1961

****E-mail:** geeta10awasthi@gmail.com (Dr. Geeta Awasthi). https://orcid.org/0009-0008-0841-0414

DOI: https://doi.org/10.53724/ambition/v8n4.02

Received 6th Nov. 2023; Accepted 20th Jan. 2024

Available online 13th Feb. 2024

2456-0146 /© 2024 The Journal. Publisher: Welfare Universe. This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License

कुछ दिन के लिए स्थगित करने की प्रार्थना की। परन्तु सरकारी वकील इस्तगासे की ओर से इसका विरोध किया गया। और इसके बाद भी अदालत की कार्यवाही आगे जारी रखी गई।[3]

इसके बाद अभियोजन पक्ष की तरफ से एन.पी.इंजिनियर ने मुकद्में की शुरूआत करते हुए कहा कि ये तीनों अभियुक्त (दोषी) भारतीय सेना के अफसर थे, ये महामहिम सम्राट के प्रतिबंध होने के कारण भारतीय सेना एक्ट' के अधीन थे।[4] इसके बाद उन्होंने भारतीय सेना अधिनियम 1911 ई. की धारा 41 का उल्लेख करते हुए कहा किः–

भारतीय सेना अधिनियम की धारा 451 के अन्तर्गत यदि कोई भी ब्रिटिश द्वारा अधिकृत भारत (ब्रिटिश भारत) के अन्दर या बाहर कोई भी अपराध करता है, तो इस अपराध के लिए उसे नागरिक कानून के अन्तर्गत सजा दी जा सकती है और इस धारा के अन्तर्गत आने वाले अपराधों को करने वाले के खिलाफ अपराधिक न्यायालयो में मुकदमा चलाया जा सकता है।[5]

उसके बाद एन.पी. इजिनियर ने आजाद हिन्द फौज का इतिहास बताते हुए कहा कि "सुभाष चन्द्र बोस जनवरी 1941 ई. को भारत से काबुल होते हुए वहां से मास्को के रास्ते जर्मनी में पहुंचे थे। 15 फरवरी 1942 ई. में जापानियों द्वारा सिंगापुर जीत लेने के बाद कर्नल हुंड ने ब्रिटिश सरकार की तरफ से लगभग 40 हजार भारतीय युद्धबंदि सैनिकों को जापान के प्रतिनिधि को सौप दिया था। इससे विदश में बसे भारतीयों के शक्ति संघर्ष को बल प्राप्त हुआ। रास बिहारी बोस ने जापान में इण्डिपेन्डस लीग (आजाद हिन्द संघ) की स्थापना की जिसका अधिवेशन जून 1942 ई. में बैंकाक में हुआ जहां पर आजाद हिन्द फौज बनाने का प्रस्ताव पारित हुआ। इसमें सुभाष चन्द्र बोस का जापान में आमन्त्रित करने का निर्णय हुआ।[6] 1942 ई. में कैप्टन मोहन सिंह स्वतंत्र विचारों के थे उनका कुछ कारणों व आपसी सन्देहों से लेकर जापानी सरकार से मतभेद हो गए। 8 नवम्बर 1942 ई. में उन्होंन आजाद हिन्द फौज भंग कर दी और कैप्टन मोहन सिंह को जापान के सैनिकों ने कैद कर लिया।[7] जापान की सरकार के प्रयासों से नेताजी जापान में आए तथा जापान के प्रधानमंत्री से उन्होंने मुलाकात की। इसके बाद सुभाष 2 जुलाई 1943 ई. को सिंगापुर पहुंचें। सिंगापुर में वे इण्डियन इण्डिपेन्डंस लीग के सदस्यो से मिले और रास बिहारी बोस ने उनके सिंगापुर आने पर आई.एन.ए. की बागडोर (नेतृत्व) उनके हाथों में सौंप दिया। सुभाष ने इसका नेतृत्व स्वीकार करने के बाद अस्थाई सरकार की स्थापना की। जापान, जर्मनी, इटली सहित 9 देशों की सरकारों ने इस सरकार को मान्यता प्रदान कर दी। जापान के प्रधानमंत्री ने टोकियो सम्मेलन में इस अंतरिम सरकार को अण्डेमान व निकोबार द्वीप समूह सौंप दिए। इस तरह आजाद हिन्द फौज का नाम पुरे एशिया में फैल गया। इस तरह से ये तीनों अफसरों द्वारा ब्रिटिश भारतीय सेना को छोड़कर सिंगापुर में आजाद हिन्द फौज शामिल हो गए।[8]

उसके बाद सर एन.पी. इंजीनियर ने इन अभियुक्तों द्वारा किए गए अपराधें का वर्णन किया है इनमें हत्या करने तथा हत्या करवाने के लिए उकसाने का अपराध किया है।[9] इन अभियोगों के समर्थन में अभियोजन पक्ष की तरफ से 30 प्रमुख गवाहों को पेश किया गया।

इन गवाहों में सबसे प्रमुख गवाह ले. कर्नल पी.वाल्स तथा ले. डी.सी नाग थे। इन गवाहों में से सबसे पहले पी. इंजिनियर ने ले. कर्नल पी. वाल्स का बुलाया और उसको भगवान की कसम दिलाई गई। मंत्रणा वकील द्वारा मुकदमा चलाने का कार्य करते हुए उससे उसकी पदवी के बारे में पूछा गया। उसने बताया कि मैं इन अभियुक्तों के साथ कार्यरत था। इसके बाद ले. कर्नल पी. वाल्स ने कैप्टन शाहनवाज खां की सेना रिकार्ड प्रस्तुत किया।[10] इसमें पी. इंजिनियर ने उनकी शिक्षा एवं भारतीय सेना में शामिल होने के बारे में बताया। उन्हें

सर्वप्रथम शाही नोरफालक रेजिमेंट में तैनात किया गया। बाद में वह 1/14 पंजाब रेजिमेंट झेलम में तैनात हुए। अगस्त 1939 ई. में इन्हें इस प्लाटून कमांडर के रूप में दो साल के लिए 10/14 पंजाब रेजिमेंट में शामिल किया। 21 अक्तुबर 1940 ई. को इन्हें पुन 1/14 रेजिमेंट में स्थानातंरित किया गया। 13 फरवरी 1942 ई0 में इन्हें द्वितीय विश्व युद्ध ने मलाया तथा सिंगापुर में भेजा गया। वहां पर ये जापनियों द्वारा बंदी बनाए गए। इसके बाद ये आई.एन.ए. में शामिल हो गए। 15 फरवरी 1945 ई. को इन्हें युद्ध बंदी के रूप में गिरफ्तार करके उसे बाद में दिल्ली लाया गया। 11 जुलाई 1945 ई. तक इनको संयुक्त सेनाओं द्वारा विस्तृत पूछताछ केन्द्र दिल्ली में छोड़ा गया।[11]

इसके बाद ले. कर्नल पी वाल्स ने कैप्टन पी.के. सहगल के सेनाओं का रिकार्ड प्रस्तुत किया। इसमें पी. इन्जीनियर ने बताया कि उनका जन्म 25–01–1917 ई0 को होशियार पुर (पंजाब) में हुआ। इनकी शिक्षा तथा देहरादून में इनकी मिलट्री ट्रेनिंग के बारे में बताया। इनको 1–02–1939 ई0 में कमिशन द्वारा नियुक्त किया गया। कैप्टन पी.के. सहगल 24–02–1940 ई0 को 5/10 बलूच रेजिमेंट में तैनात किये गए। बाद में इन्हें 18–10–1940 को 2/10 बलूच रेंजिमेंट में स्थानातंरित किया गया। 27–10–1940 को इनको सिंगापुर में लड़ाई के लिए चुना गया और 11–11–1940 को डिस्फकर्ड नामक स्थान पर भेजा गया। 14–02–1942 ई. का ये युद्ध बन्दी सैनिक के रूप में आई. एन.ए. में शामिल हुए। इनको 20 मई 1945 ई. में युद्ध बन्दी के रूप में दिल्ली लाया गया। इसके बाद इसकी विस्तृत सेवाओं के लिए संयुक्त केन्द्र दिल्ली में पूछताछ की गई।[12]

इसके बाद ले. कर्नल पी. वाल्स ने गुरूबक्स सिंह ढिल्लों का रिकार्ड प्रस्तुत किया इनका जन्म 04–04–1915 ई. को लाहौर में हुआ। इन्होंने अपनी शिक्षा कृष्णा कॉलेज नवां गांव तथा पंजाब तकनीकि युनिवर्सिटी कॉलेज की। यह 1/14 पंजाब रेजिमेंट से 30 अप्रैल 1940 को जुड़े। 15–02–1942 ई0 को आई.एन.ए. में शामिल हो गए। विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद इन्हें दिल्ली में पूछताछ केन्द्र में भेजा गया।

इसके बाद पी. इन्जीनियर ने ले. कर्नल पी. वाल्स को सम्बोधित करते हुए कहा क्या आप इन अभियुक्तो से संबधित दस्तावेज प्रस्तुत कर सकतें है। कर्नल पी वाल्स ने इन अभियुक्तों से संबंधित अपने दस्तावेजों की दो–दो मुल प्रतियां आदालत में प्रस्तुत की। न्यायलय द्वारा इन अभियुक्तों से संबंधित मूल पत्रों की जांच की। और इन्हें सही पाया गया। इसके बाद पी. वाल्स इनकी पदोन्नति तथा जापान के खिलाफ युद्ध में जाने का वर्णन किया। उसनें इन अभियुक्तों के भारतीय सेना की सूची जनवरी 1942 ई. में इनके संबध तथा पदों को दिखाया। इसके पश्चात भोला भाई देसाई द्वारा कुछ जिरह किये जाने के बाद प्रोसिकशन द्वारा अपने दूसरे गवाह ले. डी.सी. नाग को अदालत मे बुलाया गया और भगवान की शपथ दिलाई गई अदालत ने उसके पद तथा शिक्षा के बारे में पूछा गया। उसने अपने को जूनिया सिर्विल सर्विस में प्रथम क्लास का न्यायधीश बताया। उसने कहा कि वह स्नातक हूँ। और वह द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान पेंनाग में था। 1942 में सिंगापुर पर जापान का अधिकार हो गया। सिंगापुर मे उसे युद्ध बन्दियों के रूप में रखा गया। उसने बताया कि सिंगापुर में ही आई.एन.ए. का निर्माण कैसे हुआ।[13] इसने अदालत को यह बताया कि जापान के अफसरों के साथ कुछ भारतीय व्यक्ति भारतीय सैनिकों को भाषण देते थे। इसके बाद उसने कैप्टन शाह नवाज खां से मिलने के बारे में बताया उसने कहा कि शाहनवाज खां से उसकी मुलाकता निसून में मार्च 1942 ई. में हुई। इस दौरान वह कैम्प कमांडर थे। वे कैप्टन मोहन सिंह से पहले आई.एन.ए में शामिल हो गए।[14]

इसके बाद पी. इंजिनियर ने पूछा कि आप तीनों अभियुक्तों को जानते है ले. डी.सी. नाग ने हां में उत्तर

देते हुए कहा कि वो इन्हें आई.एन.ए के सम्मेलनों व मिटिंगों के दौरान मिला था।[15] इनकों आई.एन.ए के पुनर्गठन के बाद अलग–2 ब्रिगेडों में बांटा गया। शाहनवाज खां सुभाष ब्रिगेड के कमाण्डर थे। प्रेम सहगल बलूच रेंगुरिला रेजीमेन्ट में शाहनवाज खां की एक बटालियन के अफसर थें। ले. गुरूबख्श सिंह ढिल्लों गांधी ब्रिगेड के सहायक अफसर थे। इसके पश्चात डी. सी नाग ने आई.एन.ए सहित सभी का युद्ध में जाने का वर्णन किया। बर्मा में युद्ध मोर्च पर आई.एन.ए कहां–2 पर लड़ी इसका भी वर्णन किया। इम्फाल में शाहनवाज के असफल होने पर आई.एन.ए सेना इनके नेतृत्व में हाकाफालम क्षेत्र में सम्राट के खिलाफ ब्रिटिश सेना से लड़ी और वहाँ पर सैंकडों लोगों की हत्याए की तथा हत्या के लिए सैनिकों को उकसाया।[16]

दिसम्बर 1945 को कोर्ट की कार्यवाही के दौरान तीन अभियुक्तों के बयान दर्ज किए गये। अपने बयानों में सबसे पहले कैप्टन शाहनवाज खाँ ने अपने उपर लगाये गये आरोपों का जवाब देते हुए कहा– द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान सिंगापुर में मेरे सामने सम्राट या देश में से किसी एक को चुनने का प्रश्न था। मैंने अपने देश के प्रति निष्ठावान होने का फैसला किया और नेताजी को वचन दिया कि मैं देश के लिए अपनी जान भी दे दूंगा। महोदय, मै आपको बता देना चाहता हूँ कि किसी मुल्क की सेना या भाड़े की सेना ने आजाद हिन्द फौज जैसे कष्ट नहीं झेले होंगे। हमने सिर्फ हिन्दुस्तान की आजादी के लिए युद्ध किया। मैं इस युद्ध में भाग लेने से इंकार नहीं करता, लेकिन मैने आजाद हिन्द की अन्तरिक सरकार की उन नियमित युद्ध सेनाओं के सदस्य के तौर पर ऐसा किया जिन्होंने अपनी मातृभूमि की आजादी के लिए युद्ध के सभ्य नियमों के अनुसार ही लड़ाई लड़ी थी। इसलिए मैने कोई ऐसा अपराध नहीं किया जिसके लिए मुझ पर किसी फौजी आदालत में या दूसरी किसी अदालत में मुकद्मा चलाया जा सके।[17]

इसी तरह कैप्टन पी.के सहगल ने भी अदालत के न्यायाधिकार को चुनौती देते हुए कहा कि ''मैंने ऐसा कोई अपराध नहीं किया है जिस तरह का अभियोग मुझ पर लगाया गया है। इस फौजी अदालत में मुझ पर चलाया गया मुकदमा भी गैर–कानूनी है।[18] मैं जापान की सरकार के दुर्व्यवहार से डर कर या किसी अन्य स्वार्थ हेतू आजाद हिन्द फौज में भर्ती नहीं हुआ था। सितम्बर 1943 ई. में आजाद हिन्द फौज के कैप्टन के रूप में मुझे 80 डालर प्रतिमाह मिलते थें जब मुझे इस फौज से दूर रहने पर 120 डालर प्रति माह मिले होते। मैं सिर्फ देशभक्ति की भावना के उद्देश्य से आई.एन.न में शामिल हुआ। मैं इसमें शामिल इसलिए हुआ क्योंकि मैं अपनी मातृभूमि को आजाद कराना चाहता था, उसके लिए अपना खून भी बहाने को तैयार था।[19] मैने इस युद्ध मे आजाद हिन्द की अंतरिम सरकार की उन व्यस्थित और नियमित युद्धरत सेनाओं के सदस्य के तौर पर भाग लिया। जिन्होंने विदेशी शासन से अपनी मातृभूमि को आजाद करवाने के लिए, युद्ध के सभ्य नियमों के अनुसार ही लड़ाई छेड़ी थी। मैं दावा करता हूँ कि ऐसा करने पर भी मैंने कोई अपराध नहीं किया, बल्कि इसके विपरीत मैने अपने पूरे सामर्थ्य के अनुसार अपने देश की सेवा की है।''[20]

ले. गुरूबख्श सिंह ढिल्लों ने भी उन पर मुकदमा चलाने के अदालत के न्यायधिकार को चुनौती दी। उन्होंने भी आजाद हिन्द की अन्तरिम सरकार की उन व्यवस्थित और नियमित युद्धरत सेनाओं के सदस्य के तौर पर किया। अतः इस सेना का सदस्य के रूप में अपना कर्तव्य निभाने के लिए मुझ पर इंडियन आर्मी एक्ट या भारत के किसी अपराधिक कानून के अनुसार मुकदमा नही चलाया जा सकता।

इन तीनों अफसरों के बयान लिए जाने के पश्चात बचाव पक्ष के गवाहों को अदालत में सामने लाया गया। 8 दिसम्बर से लेकर 13 दिसम्बर 1945 ई. तक गवाहों के

पूछताछ की गई। बचाव पक्ष की तरफ से इन अभियुक्तों को बचाने के लिए निम्नलिखित गवाह अदालत में पेश किए गए। ये गवाह इस प्रकार से है।

1. रेनजो सावद (आजाद हिन्द सरकार के विदेशी मामलों के मंत्री)
2. तखोंहयाची (आजाद हिन्द की अस्थाई सरकार के जापान विदेश मंत्री)
3. ले. कर्नल ए.डी. लोगानाथन (अण्डेमान के लिए आजाद हिन्द की अस्थाई सरकार के प्रशासक)।
4. एस.ए. अय्यर (आजाद हिन्द की अस्थायी सरकार में प्रचार मंत्री)
5. दीनानाथ (आजाद हिन्द बैक के संचालक)।
6. शिव सिंह (आई.एन.ए के सदस्य)।
7. सबूरो ओथा (जापान के विदेशी अफसर)
8. सुनिचि माटसुमाटी (जापान के विदेश मामलों के उपमंत्री)
9. मेजर जनरल तुदाशी काताकुरा।[21]

इन सभी उपस्थित गवाहों में अपनी–2 गवाही में कहा कि आजाद हिन्द सरकार एक संगठित सरकार एक संगठित सरकार थी जिसे जर्मनी जापान, इटली, सिंगापुर, मंचुको सहित 9 देशों की सरकारो द्वारा मान्यता प्राप्त थी। इस अस्थायी सरकार के प्रति पूर्वी एशिया में तीन लाख भारतीय निवासी निष्ठावान थें। उन्होंने कहा कि इस अस्थायी सरकार की अपनी सेना और नियमित ढंग से संगठित थी। इस सेना के अपने चिन्ह और प्रतीक थे। इस अन्तरिम सरकार की तरफ से इसकी सेना को युद्ध करने का कानूनी अधिकार प्राप्त था। जापान के अफसरों की गवाहियों ने यह साफ कर दिया था कि आजाद हिन्द फौज का युद्ध करने का एक ही उद्देश्य, भारत को आजाद करवाना था। इसके लिए आई.एस.ए. के सैनिक अपने प्राणों की बाजी लगाने से नहीं चुकते थे। जापान की सरकार ने भी इसी उद्देश्य की प्राप्ति मे आई.एन.ए. की मदद की थी।[22] बचाव पक्ष की और से अदालत से बचाव का मुख्य दायित्व तेज बहादुर सप्रु के बीमार हाने के कारण भोला भाई देसाई ने अपने ऊपर ले लिया।[23] उन्होंने अपने मुवक्किलों के बचाव मे तर्क देते हुए कहाः–''अन्तराष्ट्रीय कानून के तहत यह स्वीकृत तथ्य है कि किसी विदेशी सत्ता के अधीन व्यक्ति अपनी आजादी के लिए एकजुट हो या एक संगठन बनाए भले ही उस लड़ाई में वे कामयाब हो या ना युद्ध के जारी रहने की प्रक्रिया में संगठित सेना के व्यक्तिगत सदस्यों को युद्ध में अपने क्रियाकलापों के लिए निरापदता प्राप्त है। केवल उन युद्ध के जनित अपराधों को छोड़कर जिनके लिए पूरे विश्व में अब का दण्ड विधान है। इस तथ्य को देखते हुए मैं निवेदन करता हूँ कि आपके सामने उपस्थित अभियुक्तों को निर अपराध घोषित किया जाए। क्योंकि वे अपने क्रियाकलापों के लिए नागरिक या अपराधिक उत्तरदायित्व नहीं रखते हैं। अन्तर्राष्ट्रीय कानून की पुस्तक की भाषा के अनुसार इसका दायित्व केवल उस राज्य पर है। जिसके निर्देषों के अनुसार उन्होंने युद्ध किया और युद्ध की स्थिति में ऐसा उत्तरदायित्व अन्तर्राष्ट्रीय कानून की तरह अस्तित्व ही नही रखता अन्तर्राष्ट्रीय कानून मेरे मुवाक्लिों के पक्ष में प्रत्युतर देता है।''[24]

भोला भाई देसाई ने अपने तर्क लगातार दो दिन तक न्यायालय के समक्ष रखे और बिना कोई कागज पढ़े जुबानी बोले।[25] देसाई जी ने अपने मुवक्किलों के बचाव का समर्थन करते हुए आगे कहा कि अन्तर्राष्ट्रीय कानून ने पराधीन देशों तथा जातियों को अपनी स्वाधीनता के लिए संघर्ष करने और एकजुट हाने को मान्यता प्रदान की है। इसलिए ऐसी संगठित सेना और उसके सदस्य अपने देश की स्वाधीनता के लिए किए गए युद्ध के लिए किसी मयून्सिपल अदालत के प्रति जवाबदेह नही है।[26] सरकारी अधिवक्ता ने आजाद हिन्द फौज की अन्तरिम सरकार की स्थापना करने, उसके द्वारा एक सशस्त्र सेना बनाने और जापान के लिए सहयोग लेना तथा ब्रिटिश

सेना के खिलाफ देश की आजादी के लिए इस सेना के आजादी के मैदान में उतारने के प्रमाण सहित अनेक साक्ष्य उपस्थित किए गए थे।[27] भोला भाई देसाई जी ने इन्ही साक्ष्यों एवं दस्तावेजों के आधार पर यह स्थापित करने का प्रयास किया कि राज्य का दर्जा प्राप्त ऐसी सरकार की संगठित सेना के द्वारा किये गये क्रियाकलापों पर अन्तर्राष्ट्रीय कानूनों के अनुसार सवाल नहीं उठाया जा सकता।[28] भोला भाई देसाई ने यह भी तर्क दिया कि अगर किसी देश में स्वाधीनता संघर्ष के दौरान पराधीन जनता इस स्तर पर पहुंच जाती है कि वह एक संगठित सेना का रूप ले लें, तो युद्ध के स्वीकृत नियमों के द्वारा उस सेना को भी वे सभी अधिकार, रियायते और निरापदायें मिलनी चाहिए जो एक युद्ध में शामिल देश को मिलती है।[29]

भोला भाई देसाई ने आजाद हिन्द फौज और उसके अफसरों की सम्राट के प्रति एवं देश के प्रति स्वामी भक्ति के सवाल के सबंध में एक तर्क भी दिया। उन्होंने कहा कि आजाद हिन्द फौज का उद्देश्य देश को आजाद करवाना था। इसलिए तथाकथित रूप से सम्राट के खिलाफ लड़ने वाले ये सैनिक वास्तव में अपने देश की स्वाधीनता के लिए लड़ रहे थे। ऐसमें यह सैनिक राजा के प्रति स्वामी भक्ति रखने को बाध्य नही थे।[30] हत्या ओर यंत्रणा के अभियोग के हर मामले में भोला भाई देसाई ने अभियोग पक्ष द्वारा प्रस्तुत प्रमाणों का विश्लेशण किया। उन्होंने दावा किया कि ये प्रमाण इस मुकद्में में बिल्कुल अप्रंसागिक है। क्योंकि जिस आधार पर ये प्रमाण प्रस्तुत किए है, वे आधार ही अस्तित्व नहीं रखता। उन्होंने कहा कि हत्या के अभियोग से संबंधित प्रमाण इसलिए खारिज हो जाते है। क्योंकि ये हत्यायें सेना की कार्यवाही का अंग थी। और फौजी अदालत द्वारा उन लोगों को मृत्यु दण्ड दिया जाना न्याय संगत नहीं है।[31] इस प्रकार भोला भाई देसाई ने ठोस तर्क प्रस्तुत करते हुए अपने मुवक्किलों का बचाव जोरदार ढंग से किया।

अदालत ने सुविधा के लिए निष्पक्ष ढंग से अभियोजन पक्ष और बचाव पक्ष के तर्को का संपूर्ण सार प्रस्तुत किया। इस संपूर्ण सार के अनुसार अभियोजन पक्ष के द्वारा ये दावा प्रस्तुत किया। इस संपूर्ण सार के अनुसार अभियोजन पक्ष के द्वारा ये दावा प्रस्तुत किया किया कि सभी अभियोग साबित हो चुके हैं। और अन्तर्राष्ट्रीय कानून के युद्ध संबधी नियम उन अफसरों के संबंध में लागू नहीं होते जो भारतीय सेना के अफसर थे। और राजा के प्रति निष्ठावान थे। न्यायधीश एडवोकेट के समाहार द्वारा कई कानूनी मुद्दे ऊभर कर सामने आये।[32]

अभियुक्तों पर इंडियन आर्मी एक्ट की धारा 41 के तहत आरोप लगाया गया था। बचाव पक्ष ने निम्नलिखित तथ्यों का अंतिम रूप से साबित किया था।

1. आजाद हिन्द फौज की अन्तरिम सरकार औपचारिक रूप से स्थापित और उद्घोंषित की गई थी,
2. अन्तरिम सरकार एक सुनियोजित और संगठित सरकार थी,
3. इस सरकार को धुरी शक्तियों ने मान्यता प्रदान की। यह मान्यता इस बात का प्रमाण है कि आजाद हिन्द की सरकार राज्य का दर्जा प्राप्त था,
4. इस राज्य के पास एक संगठित सेना थी, जिसमें नियमित रूप से भारतीय अफसरों की नियुक्ति की गई थी,
5. आजाद हिन्द फौज की स्थापना का मुख्य उद्देश्य भारत को आजाद करवाना और इसके साथ बर्मा और मलाया के भारतीय निवासियों को युद्ध के दौरान खासतौर पर मुक्त करना था,
6. इस नए भारतीय राज्य ने अन्य किसी देश की भांति प्रदेश आधिगृहीत नहीं किया,
7. इस राज्य के पास युद्ध लड़ने के प्रर्याप्त साधन

मौजूद थे।[33]

इन तथ्यों के आधार पर बचाव पक्ष ने ये दावा किया था कि उन परिस्थितियों को ध्यान रखते हुए जिनके तहत यह अन्तरिम सरकार बनाई गई थी और कार्यरत थी। उसे अपने देश की आजादी के लिए युद्ध करने का अधिकार था, जो कि उसने किया।[34] अगर ऐसी सरकार को युद्ध करने का अधिकार है, एक ऐसा अधिकार जो सभी देशों को मान्य और स्वीकार्य है, तो अन्तर्राष्ट्रीय कानून के अनुसार वो स्वाधीन देश या दो राज्य एक–दूसरे के विरूद्ध युद्ध छेड़ सकते हैं और इस युद्ध की कार्यवाही से सबंधित क्रिया कलाप करने वाले व्यक्ति (युद्ध अपराधियों को छोड़कर) म्युनिसपल कानून के घेरे के अंदर नहीं आते।[35] इस प्रकार बचाव पक्ष ने सबसे पहले प्रमुख तर्क यह दिया कि आधुनिक अन्तर्राष्ट्रीय कानून ने पराधीन देशों व जातियों के लोगों को एक जुट होकर या संगठित सेना बनाकर स्वाधीनता के लिए लड़ने के अधिकार को मान्यता दी है। इस संगठित सेना के सदस्य युद्ध में अपने कार्यो के लिए किसी अदालत के सामने जवाब देही नहीं है।[36] तथ्यों के आधार पर बचाव पक्ष ने यह साबित किया था। कि आजाद हिन्द फौज एक मान्यता प्राप्त सरकार की एक संगठित सेना थी। जिसने ब्रिटेन और अमेरिका के खिलाफ युद्ध की घोंषणा की थी। युद्ध के तहत अंग्रेजों के विरूद्ध लड़ाई की थी।[37]

बचाव पक्ष ने यह भी साबित किया था कि वे समस्त कार्य जो आरोपों के आधार थे, एक ऐसी सरकार की संगठित सेना की कार्यवाही के दौरान किए गए थे। जो राज्य के दर्जा पाने का दावा रखती थी। तथा जो जापान सरकार द्वारा प्रदत्त प्रदशों पर अधिकार रखती थी।[38]

जहां तक आजाद हिन्द फौज में शामिल होने वाले भारतीय सेना के अफसरों की राज भक्ति का सवाल था। बचाव पक्ष के द्वारा कहा गया कि उसकी निष्ठा सम्राट और देश के प्रति थी। अगर इग्लैड में किसी पर राजद्रोह का आरोप होता, लेकिन यह आरोप किसी पराधीन देश पर लगाया जाए तो यह बिल्कुल ही अलग मुददा होगा।[39] इस मुकद्में की परिस्थितियों में अन्तर्राष्ट्रीय कानून के नियमों को लागू करने के प्रश्न के संबंध में सरकार की तरफ से कहा गया कि अन्तर्राष्ट्रीय कानून इस ट्रिब्यूनल के लिए बाध्यकारी न था और ऐसा ट्रिब्यूनल सिर्फ म्युनिपल और आन्तरिक कानून के नियमों को ही मान्यता दे सकता था। जबकि बचाच पक्ष की दलील के अनुसार 'ला आफ नेंशन' एक अधिनियम के तौर पर उतना ही बाध्यकारी शाक्ति थी, जितना कि अन्य कोई कानून।[40]

तमाम साक्ष्यों की प्रस्तुति तथा गवाहां के बयानों के पश्चात न्यायलय ने अपना अन्तिम निर्णय सुनाया और कहा कि अदालत इस नतीजे पर पहुचंती हैं कि तीनों अभियुक्त सम्राट के खिलाफ युद्ध छेड़ने के आरोप के संबध में दोषी पाये जाते हैं। जबक कैप्टन शाह नवाज खां को हत्या करने के लिए उकसाने का दोषी पाया गया है। ले0 ढिल्लों को हत्या करने और कैप्टन प्रेम कुमार सहगल को हत्या के लिए उकसाने के आरोप से बरी किया जाता है।[41]

न्यायलय ने आगे कहा कि सम्राट के प्रति युद्ध छेड़ने के आरोप में दोषी पाये जाने की स्थिति में अदालत तीनों अभियुक्तों का आजीवन देश निकाला देने या मृत्यु दण्ड की सजा देने को बाध्य है। इस कानून के अनुसार इससे कम दण्ड का विधान नहीं है।[42] अदालत तीनो अभियुक्तों को आजीवन देश निकाला, नौकरी से बर्खास्ती ओर उनके सारे वेतन एवं बकाया रकम जब्त करन का दण्ड सुनाती है फौजी अदालत का कोई निष्कर्ष या दण्ड तब तक पूर्ण नहीं होता जब तक उसकी पुष्टि न हो।[43] कमांडर इन चीफ, जो अभी पुष्टि अधिकारी भी है, को सजा घटाने, बदलने और क्षमा करने का अधिकार है।[44]

सैन्य अदालत द्वारा आजाद हिन्द फौज के सैनिको के प्रति दिये गए निर्णयो ने देश में चला रहे राष्ट्रवादी

आन्दोलन की लहर को और भी ऊंचा उठा दिया। भारतीय जनता की सहानुभूति आरम्भ से इन सैनिकों के साथ थी। जनता इन्हें राष्ट्रीय नायक समझती थी।[45] जब 5 नवम्बर 1945 ई0 को मुकदमा आरम्भ हुआ तभी से इन सैनिको के पक्ष में जनता ने प्रदर्शन आरम्भ कर दिए थें लोगों ने सरकारी नौकरियों को छोड़ दिया। हजारो छात्रों ने मुकदमें को लेकर हड़ताल वे प्रदर्शन किए। लोग तिरंगाा झंडा लिये हुए 'जय हिन्द', 'इंकलांब जिन्दाबाद' 'दिल्ली चलों, 'आजाद हिन्द फौज के सैनिको को छोड़ दो'' लाल किला तोड़ दो' आदि नारे लागाए जाते थे। इसी समय के दौरान अंग्रेजो घमकी देते हुए लोग कहते थे कि आजाद हिन्द फौज के सैनिको को अगर कुछ हुआ तो कोई भी अंग्रेज यहां से जिन्दा नही जा पायेगा। 1946 ई0 के आरम्भ के दौरान केन्द्रीय विधान सभा के आम चुनावों को लेकर इस मुददे को ज्यादा हवा मिली। मध्य प्रान्त, बिहार, सयुक्त प्रान्त एवं अन्य स्थानों पर प्रान्तीय कांग्रेसी नेताओं द्वारा उग्र भाषण दिए गए। इन भाषणों में आई.एन.ए के नायकों और शहीदों को गौरवान्वित किया जाता था। तथा आजाद हिन्द फौज की सैनिकों की रिहाई की मांग की जाती थी।[46]

इस मुद्दे को लेकर जन प्रतिरोध इतना बढ़ गया था कि 21 व 23 नवम्बर 1945 ई0 कलकत्ता में महत्वपूर्ण घटनाएं घटी।[47] कलकत्ता में आजाद हिन्द फौज के सैनिको की रिहाई की मांग करने वाले विद्याथियों का एक जलुस फारवर्ड ब्लाक के नेतृत्व में निकाला गया। इसमें कम्युनिस्ट स्टूडेन्ट फैडरशन, बंगाल स्टूडेन्स कांग्रेस, मुस्लिम लीग तथा कम्युनिस्ट पार्टी को साम्राजय विरोधी एकता के सुत्र में बांध दिया। इस मुददे को लेकर सभी राजनैतिक पार्टिया भी एकमत थी। उन्होंने भी सैनिकों की रिहाई की मांग की।[48]

आजाद हिंद फौज के सैनिको के मुकदमें को लेकर भारतीय सैनिको में भी रोष बढ़ने लगा था। सैन्य अधिकारी भी अपनी–2 वर्दियों सहित आजाद हिन्द फौज के सैनिकों के बचाव में होने वाले सम्मेलनों में भाग लेते थे इस मुकदमें को ब्रिटिश भारतीय सेना में भी विद्रोह की भावना थी। अतः ब्रिटिश सरकार के गुप्तचर विभाग की सलाह और प्रान्तीय गर्वनारों की रिपोर्टो को देखते हुए तथा जनता की भावनाओं को देखते हुए कमांडर–इन–चीफ पे अन्ततः फैसला किया कि दण्ड के सम्बंध में तीनों अभियुक्तों के साथ एक सा व्यवहार किया जाएगा इस आधार पर तीनो अफसरों के साथ एक सा फैसला किया जाएगा।[49] इस आधार पर तीनों अफसरों के खिलाफ आजीवन देश निकाले का दण्ड हटा दिया गया था। परन्तु उसकी नौकरी से बर्खास्ती और सारे वेतन और बकाया रकम जब्त कर लेने के दण्ड को बरकरार रखा गया।

इस प्रकार आई.एन.ए. मुकदमें का अन्त हुआ और आजाद हिन्द सेना के तीनों अभियुक्तो (अफसरों) को रिहा कर दिया। इस मुकदमें ने पुरे देश में स्वाधीनता संघर्ष को एक नई दिशा प्रदान कर दी। आजाद हिन्द फौज के तीनों अफसरों की जगह–2 जनता द्वारा स्वागत किया गया।[50]

उपरोक्त अध्ययन के आधार पर कहा जा सकता है कि आजाद हिन्द फौज के तीन अफसरों ले. शाह नवाज खां, प्रेम कुमार सहगल तथा गुरूबख्श सिंह ढ़िल्लों पर मुकदमा 5 नवम्बर 1945 ई. का आरम्भ हुआ। जो 31 दिसम्बर 1945 ई0 चला। यह मुकदमा लगभग दो महीने तक चला। अतः अदालत तीनों अभियुक्तों को आजीवन देश निकाला, नौकरी से बर्खास्ती और उनके सारे वेतन तथा बकाया रकम जब्त करने का दण्ड सुनाती है। परन्तु बाद में, राष्ट्रीय दबाव के अर्न्तगत, कमांडर–इन–चीफ वायसराय ने तीनों अफसरों के खिलाफ आजीवन देश निकाले का दण्ड हटा दिया।

संन्दर्भ सूची–

1 एस.ए.अयर, आजाद हिन्द फौज का कहानी, पृ–72
2 मोती राम, ए हिस्टोरिकल ट्रायल इन रेड फोर्ट, पृ–11
3 अजीत सैनी, आजाद हिन्द फौज का इतिहास
4 मोती राम, पूर्वोक्त, पृ–5

5 उपरोक्त पृ–5–6
6 बाल मुकुंद अग्रवाल, आजादी के मुकदमें पृ–136
7 द हिन्दु, 7 नवम्बर 1945
8 बाल मुकुंद अग्रवाल, आजादी के मुकदमें पृ–136
9 आई.एन.ए. फाईल न. 495
10 उपरोक्त
11 आई.एन.ए. फाईल न. 495
12 गुरू बख्श सिंह ढिल्लों, फ्रोम माई बोन मेमोरी आफ गुरूख्श सिंह ढिल्लों पृ–444
13 आई.एन.ए. फाईल न. 495
14 गुरूबख्श सिंह ढिल्लों, पूर्वोक्त पृ–445
15 गुरू बख्श सिंह ढिल्लों, फ्रोम माई बोन मेमोरी आफ गुरूख्श सिंह ढिल्लों, पृ 464
16 बाल मुकुंद अग्रवाल, आजादी के मुकदमें, पृ–137
17 मोती राम, हिस्टोरिवल ट्रायल इन रैड फोर्ट, पृ–202–21
18 मोती राम, पूर्वोक्त, पृ–223
19 बाल मुकुंद अग्रवाल, पूर्वोक्त, पृ–138
20 बाल मुकुंद अग्रवाल, पूर्वोक्त, पृ–138
21 उपरोक्त, पृ–139
22 बाल मुकुंद अग्रवाल, पूर्वोक्त, पृ–139
23 उपरोक्त, पृ–139
24 एस.ए.अयर, आजाद हिन्द फौज की कहानी, पृ–74
25 मोती राम, पूर्वोक्त, पृ–249
26 उपरोक्त, पृ–250
27 बाल मुकुंद अग्रवाल, पूर्वोक्त, पृ–139
28 उपरोक्त, पृ–139
29 मोती राम, पूर्वोक्त, पृ–257
30 बाल मुकुंद अग्रवाल, आजादी के मुकदमे, पृ–140
31 टी.आर. शरीन, इण्डियन नेशनल आर्मी डेकोमेन्टरी स्टडी, पृ–203
32 बाल मुकुंद अग्रवाल, पूर्वोक्त, पृ–140
33 हिन्दुस्तान टाइम्स, 21 दिसम्बर 1945
34 टी.आर. शरीन, इण्डियन नेशनल आर्मी डेकोमेन्टरी स्टडी, पृ–203
35 उपरोक्त, पृ–220
36 मोती राम, पूर्वोक्त, पृ–227–28
37 बाल मुकुंद अग्रवाल, आजादी के मुकदमे, पृ–141
38 बाल मुकुंद अग्रवाल, पूर्वोक्त, पृ–142
39 उपरोक्त, पृ–142
40 मोती राम, पूर्वोक्त, पृ. 300
41 उपरोक्त, पृ–306
42 अमृत बाजार पत्रिका, 30 दिसम्बर 1945
43 एस.ए.अय्यर, पूर्वोक्त, पृ–736
44 उपरोक्त, पृ–76–77
45 उपरोक्त, पृ–77
46 के.के. घोष, इण्डियन नेशनल आर्मी, पृ–215
47 होम डिपोर्टमेन्ट पोलिजटिकल फाइल न–18–12–1945
48 एस.ए.अय्यर, पूर्वोक्त, पृ–76
49 मोती राम, पूर्वोक्त प्–305
50 बाल मुकुंद अग्रवाल, पूर्वोक्त, पृ–170

****